रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239371
CG-DL-E-06102022-239371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4548] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944
No. 4548] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4758(अ).—जबकि, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसके सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों, रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), आल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाईजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फांउडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल सहित को दिनांक 27 सितम्बर 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4559(अ), जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग–II, खंड–3, उप–खंड (ii) दिनांकित 28 सितम्बर, 2022 को प्रकाशित की गई थी, के तहत विधि–विरूद्ध संगम घोषित किया गया है;

अतः अब, केंन्द्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसके सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों, रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), आल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाईजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फांउडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल सहित को एक विधिविरूद्ध संगम के रूप मे घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नही, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा, दिल्ली उच्च न्यायालय से मिलकर बनने वाले एक विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन करती है।

[फा. सं. 14017/7/2022-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2022

S.O. 4758(E).—Whereas, the Popular Front of India and its associates or affiliates or fronts including Rehab India Foundation (RIF), Campus Front of India (CFI), All India Imams Council (AIIC), National Confederation of Human Rights Organization (NCHRO), National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation and Rehab Foundation, Kerala has been declared as unlawful association, *vide*, notification number S.O. 4559 (E), dated 27th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 28th September, 2022;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes an Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Justice Dinesh Kumar Sharma, High Court of Delhi, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Popular Front of India and its associates or affiliates or fronts including Rehab India Foundation (RIF), Campus Front of India (CFI), All India Imams Council (AIIC), National Confederation of Human Rights Organization (NCHRO), National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation and Rehab Foundation, Kerala as unlawful association.

[F. No. 14017/7/2022-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.10.06 20:02:45 +05'30'